

## Agreement copy between NPP Etawah & Contractor for door to door waste collection






## उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

## BN 640816

- 4 यह कि पालिका द्वारा चालू स्थिति में जो वाहन व कन्टेनर/डिब्बे द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये जायेगें वह चालू स्थित में ही द्वितीय पक्ष से वापस लिये जायेगें। एवं टूट–फूट व मरम्मत की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 5. यह कि अनुबन्ध में वाहनों / उपकरणों के मेन्टीनेन्स, डीजल, मोबिल आयल का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं समय–समय पर वाहनों की सर्विस भी करवाना अनिवार्य होगा।
- 6. यह कि दुलान व डोर-टू-डोर कूडा एकत्रीकरण/प्रथक्कीकरण हेतु आवश्यक श्रमिकों की नियुक्ति/वेतन इत्यादि का भुगतान का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष को कूडे को डोर−टू−डोर कलेक्शन∕एकत्रीकरण व कूडे प्रथक्कीकरण कर ढुलान कर निस्तारण हेतु प्लान्ट पहुँचाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ वार्डवार भवनों की सूची नाम सहित क्रमवार पालिका को उपलब्ध करानी होगी जिससे यूजर चार्ज के प्रेषित बिलों की कार्यवाही एवं यूजर चार्ज वसूली की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा सुनिचित की जा सके।
- .8. यह कि द्वितीय पक्ष अपने कर्मचारियों को इस निर्देशन से डोर–टू–डोर कलेक्शन का•कार्य करावेगा कि वह कार्य क्षेत्र में प्रत्येक भवन स्वामियो को नीले डिब्बे व हरे डिब्बे में अलग–अलग कूडे रखने की जानकारी देगा। उक्त कर्मचारी समय निर्धारित कर कार्यक्षेत्र में पहुँचकर सीटी बजाकर कूडा उठायेगा।
- 9. यह कि प्रथम पक्ष पालिका में उक्त कार्ययोजना से सम्बन्धित सूचनार्थ रखे पर्चा / पम्पलेटों को द्वितीय पक्ष प्राप्त कर अपने कर्मचारियों से घर-घर वितरण कराना सुनिश्चित करेगा।
- 10. यह कि द्वितीय पक्ष को कूडे के ढुलान व डोर-टू-डोर एकत्रीकरण व प्रथक्कीकरण के कार्य का माह समाप्ति उपरांत बीजक बिल अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा। पालिका द्वारा प्रेषित बिल का परीक्षण कर 10 दिनों अन्दर द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जाएगा। जिससे ढुलान व डोर-टू-डोर एकत्रीकरण व प्रथक्कीकरण का कार्य वित्तीय कारणों से प्रभावित न हो सके।
- यह कि उक्त कार्य में आने वाली आकस्मिक समस्याओं/कठिनाईयों का समाधान दोनों पक्षो द्वारा आपसी सहमति से निस्तारण किया जायेगा।
- 12. यह कि अनुबन्ध आलेख पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से दो वर्ष तक प्रभावी होगा तत्पश्चात आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि बढाई जा सकती है एवं समय से पूर्व कार्य छोडने पर फर्म को ब्लेक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी व जमा बधंक धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
- 13. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा चिन्हित कूडा स्थलों पर ही द्वितीय पक्ष द्वारा डोर-टू-डोर किया गया कूडा कलेक्शन परवहन/दुलान किया जा सकेगा।
- 14. यह कि कूड़े वजन हेतु एक कर्मचारी नगर पालिका परिषद इटावा से अधिकृत किया जायेगा। तथा एक कर्मचारी द्वितीय पक्ष का होगा। कांटे की रसीद दोनों कर्मचारियों के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होगी।





**ANNEXURE 5.2.1** 

26. यह कि कार्यरत सफाई श्रमिकों को वेश—भूषा/ड्रेस व सुरक्षा से सम्बन्धित सभी उपकरण द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा एवं विना वर्दी के कोई भी सफाई श्रमिक कार्य नहीं कर सकेगा।

- 27. यह कि श्रमिकों के किसी भी प्रकार के वेतन व अन्य भत्ते, मेडिकल सुरक्षा सम्बन्धी व्यय भार एवं रजिस्ट्रेशन आदि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 28. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन दो पालियों में (प्रथम पाली में प्रातः समय एवं द्वितीय पाली सांयकाल) सफाई करायी जानी अनिवार्य होगी।
- 29. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्राप्त कराये गये समस्त वाहनों को पालिका द्वारा चिन्हित किए गये स्थानों पर ही कार्य समाप्ति के बाद खडे किया जाना अनिवार्य होगा।
- 30. यह कि नगर पालिका द्वारा भविष्य में पेट्रोल पम्प खोलने की योजना है, पेट्रोल पम्प खुलने के उपरांत द्वितीय पक्ष को प्रयोग हेतु समस्त ईधन नगर पालिका के पम्प से ही लेना होगा। एवं जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को समय से करना होगा।
- 31. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा नगरीय अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्कीकरण व परिवहन कार्य संतोषजनक न करने पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष के सक्षम अधिकारी में निहित होगां।
- 32. यह कि किसी भी समय प्रथम पक्ष को आवश्यकता पडने पर द्वितीय पक्ष को वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 33. यह कि द्वितीय पक्ष प्लान्ट पर कूडा ले जाकर वैज्ञानिक विधि से कूडे का निस्तारण मानकों के अनुरूप करेगा एवं बनाई गई खाद का विक्रय नियमानुसार करेगा।
- 34. यह कि प्लान्ट को सुव्यवस्थित रखते हुये उसका संचालन विधिवत रखना अनिवार्य होगा। उक्त प्लान्ट का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के भ्रमण दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा।
- 35. प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र इटावा ही होगा।

अतः इकरार नामा (अनुबन्ध पत्र) लिख दिया। ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथम

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

55 | P a g e

## Nagar Palika Parishad Etawah

ANNEXURE 5.2.1

Self -Declaration

To whom so ever, it may concern

It is certified that in Nagar Palika Parishad Etawah, the door to door waste collection is 100% (Approx.) of total houses in all 40 wards.

EXECUTIV Nagar Palika F Anil Kumar Executive Officer Nagar Palika Parishad Etawah